उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-219/2018/2622 /71-1-2018-जी-195/2015 टी०सी०

लखनऊ: दिनांक : 14 अगस्त, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षको के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/1041, दिनांक 25-07-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 07 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे
3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

3- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या-219/2018/2622(1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5- कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-219/2018/2622/71-1-2018- जी-195/2015टी0सी0

दिनांक 14 अगस्त, 2018 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	नियुक्ति हेतु प्रस्तावित मेडिकल कालेज का नाम
1.	पैथालॉजी (आचार्य)	डा0 रणवीर सिंह, पुत्र श्री वीरम सिंह, पता- म0न0-77, विजय कालोनी, सहारनपुर।	अन्य पिछडा वर्ग	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
2.	एस0पी0एम0 (प्रवक्ता)	डा0 राजीव कुमार, पुत्र श्री यमुना प्रसाद, पता- रूम नं0-15, विजेता ब्लाक बैग, रूड़की।	अन्य पिछडा वर्ग	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
3.	एनाटमी (प्रवक्ता)	डा0 शशी किरण शुक्ला, पुत्री श्री वी0एन0 शुक्ला, पता-टाईप-3, ब्लाक–3 , एफ-4, मेडिकल कालेज, कैम्पस सहारनपुर।	सामान्य	मेडिकल कालेज ,सहारनपुर
4.	एस0पी0एम0 (प्रवक्ता)	डा0 मधुलिका सिंह सिसौदिया, पुत्री श्री डा0 महेश सिंह सिसौदिया , पता- मूर्ति नर्सिंग होम, कोलागढ़ रोड, धामपुर।	सामान्य	मेडिकल कालेज ,सहारनपुर
5.	रेडियोथेरेपी (प्रवक्ता)	डा0 गौरव शर्मा, पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, पता-वार्ड नं0-13 भल्ला फार्म नं0-10 श्यामपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
6.	आप्थलमोलॉजी (प्रवक्ता)	डा0 इन्दू, पुत्री श्री वाई0पी0 सिंह, पता- ए-74 आवास विकास कालोनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर।	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
7.	सामान्य सर्जरी (प्रवक्ता)	डा0 राजन डंग, पुत्र श्री फिलारी राम डंग, पता- एस0वी0डी0 जिला चिकित्सालय, सहारनपुर, उ0प्र0।	सामान्य	मेडिकल कालेज, सहारनपुर

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in